17/3/21	पत्रावली पेश हुई। बहुलप्य फरीकैन उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अ. धारा 151 CPC व 136 के प्रार्थना पत्र बहस सुनने का निवेदन किया। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया कि जमीन हाल खसरा नं. 119 रकबा 1.10 हैक्टयर सरहद राजस्व ग्राम बाल चूडैला तहसील मलसीसर में स्थित है हाल खसरा नम्बर 119 गत खसरा नम्बर 25 मीन ग्राम चूडैला से बना है। खसरा नम्बर 119 के आवेदकगण संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर 1/4 हक हिस्से के सह खातेदार है, गत खसरा नम्बर 25 ग्राम चूडैला की गत नक्शाशीट में डोटेड लाइन से कोई अस्थाई रास्ते का अंकन नहीं है। इसके आगे के खसरा नं. 29, 31, 32 ग्राम चूडैला की गत नक्शाशीट में भी डोटेड लाइन से किसी प्रकार का रास्ते का अंकन नहीं है भू प्रबन्ध विभाग दौराने भू विभाग ने गत खसरा नम्बर से हाल

लगातार

हुक्म		जारी हुए
	खसरा नम्बर कायम किए है व गत नक्शा-शीट कायम की भू-प्रबन्ध विभाग ने बिना क्षेत्राधिकार के हाल खसरा नं. 119 के कटरी सीमा के सहारे-सहारे खसरा नम्बर कीमती में गलत रूप से अस्थाई रास्ते (डोटेड लाइन) का अंकन कर दिया है; इस डोटेड लाइन को विलोपित कर हाल खसरा नम्बर 119 ग्राम बास चूडेला की हाल नक्शा शीट को दुरुस्त किया जावे। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र को पेश कर दौराने बहस निवेदन किया कि प्रचलित रास्ता है जिसे बंद कर दिया गया है जिससे अन्य काश्तकारों को फसल कटाई व खेती के कामों को करने में दुविधा का सामना करना पड़ रहा है। दौराने बहस अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि उक्त रास्ता पूर्वजों के समय से ही प्रचलित है; उक्त रास्ते से अनावेदक अपने खेतों में आते जाते रहे हैं। रास्ते बाबत पूर्व में कभी कोई विवाद नहीं रहा है। अनावेदक गण को अपने खेतों तक जाने के लिए इससे अधिक नजदीक अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	रास्ता नहीं है। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों तहसीलदार व पटवारी की मौका फर्द का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में नक्शा शीट में डोटेड लाइन से रास्ते का अंकन है; जो कि प्रार्थी के अलावा अप्रार्थियों के 3 अन्य खसरा नम्बरों में भी डोटेड लाइन से अंकन है। डोटेड लाइन को विलोपित करने से 3 अन्य खसरा नम्बर के काश्तकार अनावेदक -गण के हित प्रभावित होते हैं; जो कि इनके प्राकृतिक अधिकारों के प्रतिकूल है। अत: आवेदक की जमीन हाल खसरा नं. 119 की उत्तरी सीमा के सहारे सहारे डोटेड लाइन से अंकन रास्ते को विलोपित कर नक्शा शीट को दुरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अत: प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (हस्ताक्षर) (श्रीमती शकुन्तला) उपखण्ड अधिकारी मलसीसर मलसीसर